



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 261/79-वि-1-2026-1-क-14-2025

लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025 जिससे वित्त सामान्य अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ]

पेंशन की हकदारी और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएँ

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा;

(ख) “विनियमावली” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विनियमावली से होगा और इसमें उत्तर प्रदेश में प्रयोज्य हेतु यथाअंगीकृत सिविल सेवा विनियमावली तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनायी गयी कोई अन्य विनियमावली सम्मिलित होगी।

(ग) “नियमावली” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी किसी नियमावली से होगा और इसमें उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 और संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनायी गयी कोई अन्य नियमावली सम्मिलित होगी।

(घ) “मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होगा, जिसे सरकार के किसी स्थायी स्थापन में सरकार द्वारा सम्यक रूप से सृजित किसी अस्थायी या स्थायी पद हेतु प्रयोज्य नियमावली या विनियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया हो।

पेंशन की हकदारी

3—किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति—

(क) जो सरकार के किसी विभाग में या किसी विभाग के अधीन किसी संगठन में मौलिक रूप से नियुक्त नहीं है; और

(ख) जो अंशदायी भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि का अभिदाता है या रहा हो;

पेंशन प्रदान करने से संबंधित किसी भी नियम, विनियम या सरकारी आदेश के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा।

विधिमान्यकरण

4—किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, की गयी सभी कार्यवाहियाँ, कृत कार्य या जारी किए गए शासनादेश या तात्पर्यित कार्यवाही, कार्य या जारी शासनादेश, जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति नहीं हैं और जो किसी अंशदायी भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदाता हैं या रहें हैं, को पेंशन देने से इन्कार किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

अध्यारोही प्रभाव

5—अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निरसन और
व्यावृत्ति

6—(1) उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2025 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
अध्यादेश संख्या 9
सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

संदेय पेंशन की हकदारी हेतु शर्तें उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेंनीफिट्स रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्यूलेशन में दी गयी हैं। चूंकि ये शर्तें व्यक्तिनिष्ठ निर्वचन के लिए खुली हैं, जिससे प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

अतएव, दिनांक 1 अप्रैल, 1961, जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेंनीफिट्स रूल्स, 1961 के प्रारम्भ होने का दिनांक है, से पेंशन की हकदारी की शर्तों को परिभाषित करने और ऐसी परिभाषाओं का विधिमाम्यकरण करने के लिये एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमाम्यकरण अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 261(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-14-2025

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pension ki Hakdaari Tatha Vidhimanyakaran Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 1, 2026. The Vitti Samanya Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH ENTITLEMENT TO PENSION AND VALIDATION ACT, 2025

(U.P. ACT no. 5 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature Assembly]

AN

ACT

to provide for entitlement to pension and to validate certain actions taken in this behalf and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025.

Short title,
extent and
commencement

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1961.

2. For purposes of this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions

(a) “Government” shall mean the Government of Uttar Pradesh;

(b) “regulations” shall mean any regulations in exercise of any power conferred by any enactment by the State of Uttar Pradesh and shall include the Civil Service Regulations as adopted for application in Uttar Pradesh and any other regulations made by the Governor of Uttar Pradesh;

(c) “rules” shall mean any rules made in exercise of any power conferred by any enactment by the State of Uttar Pradesh and shall include the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961 and any other rules made by the Governor of Uttar Pradesh under the proviso to Article 309 of the Constitution;

(d) “substantive appointee” shall mean any person who has been appointed in accordance with the procedure prescribed in the applicable rules or regulations to any temporary or permanent post duly created by the Government in a permanent establishment of the Government.

Entitlement to Pension	3. Notwithstanding anything contained in any rules, regulations or Government orders, no person who,— (a) is not a substantive appointee in any department or in any organization under any department of the Government; and (b) is or has been a subscriber to any Contributory Provident Fund or the Employees' Provident Fund; shall be entitled to pension under any rules, regulations or Government orders relating to the grant of pension.
Validation	4. Notwithstanding any judgement, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, all actions taken, things done or Government orders issued or purporting to have been taken, done or issued, by which pension has been denied to any persons or class of persons who are not substantive appointees and who are or have been subscribers to any Contributory Provident Fund or the Employees' Provident Fund, shall be deemed to be and always to have been validly taken, done or issued under the provisions of this Act and to be and always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times with effect from April 1, 1961.
Overriding effect	5. Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force other than this Act.
Repeal and saving	6. (1) The Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Ordinance, 2025 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 9 of 2025 (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The conditions for entitlement to pension payable are given in the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961 and the Uttar Pradesh Civil Service Regulations. However, these are open to subjective interpretation which leads to administrative difficulties.

It has, therefore, been decided to make a law defining the conditions of entitlement to pension and to validate such definition with effect from 1st April, 1961, which is the date of commencement of the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 9 of 2025) was promulgated by the Governor on 2nd September, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.